पत्रांक–DHEsec2/खुला वि0 विद्यालय-01/2019/HTESD 1879 /

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरंडा,राँची- 834002

संकल्प

विषय :- झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरांत आवश्यक मदों में व्यय हेतु बीज धन (Seed Money) की वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

झारखण्ड राज्य में दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 द्वारा झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। इसकी स्थापना से ऐसे लोगों की शैक्षणिक आवश्यकताएँ पूरी होंगी, जो परम्परागत शिक्षा में प्रवेश नहीं पा सके, जो शैक्षिक सुविधाओं से वंचित रहें, जो परम्परागत संस्थानों में अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सके, जो लोग बेरोजगार हैं और अपनी शिक्षा को घर से जारी रखना चाहते हैं, जो व्यवसायिक प्रशिक्षण और अनुकूलन करने के इच्छुक हैं, जो अपनी सामान्य शिक्षा, व्यवसायिक या तकनीकी शिक्षा को परम्परागत प्रणाली से इत्तर वैकल्पिक माध्यम से जारी रखना चाहते हैं, जो लोग भौतिक, आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, जो लोग संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।

2. अपनी स्थापना के तुरंत बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यह विश्वविद्यालय लगातार प्रयासरत है एवं इस निमित विश्वविद्यालय द्वारा अन्य प्रदेशों के खुला विश्वविद्यालयों यथा–उड़ीसा राज्य खुला विश्वविद्यालय, संबलपुर एवं राजर्षि टंडन खुला विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के साथ शैक्षणिक गतिविधियों के लिए MoU किया जा चुका है। विश्वविद्यालय का कुल 47 अध्ययन केन्द्र राज्य के विभिन्न अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों जैसे–ए०एस० कॉलेज, देवघर एवं डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची में खोले जा चुके हैं तथा अन्य अध्ययन केन्द्र खोलने का कार्य प्रक्रियाधीन है। साथ ही Chancellor Portal के माध्यम से विद्यार्थियों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है।

3. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-24.08.2021 में मद संख्या-10 में झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय को स्वयं को स्थापित करने में मदद करने हेतु बीज धन (Seed Money) के रूप में रू० 5,00,00,000/-(पाँच करोड़ रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गयी है। तदालोक में झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय को स्वयं को स्थापित करने में मदद करने हेतु बीज धन (Seed Money) के रूप में रू० 5,00,00,000/-(पाँच करोड़ रूपये) मात्र की राशि विभागीय पत्रांक–167/बजट दिनांक–27.09.2022 द्वारा स्वीकृत की गयी है।

4. झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा–36(1)के आलोक में विश्वविद्यालय को स्वयं को स्थापित करने में मदद करने हेतु बीज धन (Seed Money)के रूप में स्वीकृत रू० 5,00,00,000/-(पाँच करोड़ रूपये) मात्र की राशि में वृद्धि करते हुए इसे रू० 20,00,00,000/- (बीस करोड़ रूपये) मात्र करने का अनुरोध झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है।

5. विदित हो कि झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय का संचालन प्रथम कुलपति के पदभार ग्रहण करने के साथ वर्ष 2022 में प्रारम्भ हुआ है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के द्वारा डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट स्तरीय पाठ्यक्रमों का संचालन विभिन्न अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी से 2 (f) की मान्यता प्राप्त करने के साथ-साथ अन्य नियामक संस्थानों से मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के संचालन हेतु अन्य आवश्यक पदों के सृजन की कार्रवाई उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के स्तर से की जा रही है।

6. वर्तमान में विश्वविद्यालय शैशवावस्था में है। विश्वविद्यालय के समग्र एवं सुचारु रुप से परिचालन करने में समर्थ होने में लगभग 5 वर्ष की अवधि अनुमानित है। चूँकि विश्वविद्यालय की स्थापना झारखण्ड राज्य के विद्यार्थियों की सुलभता तथा शैक्षणिक पलायनता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया गया है अतः छात्र एवं राज्य हित में यह आवश्यक है कि आगामी 5 वर्षों में इसके सुदृढ़ होने एवं आर्थिक रुप से सक्षम होने तक इसे आर्थिक अनुदान से लाभान्वित किया जाए ताकि विश्वविद्यालय आगामी 5 वर्षों में अपने आवर्ती व्ययों के प्रतिपूर्ति के साथ–साथ अन्य शैक्षणिक संसाधनों एवं नियामक संस्थाओं से मान्यताओं को हासिल कर पूर्ण रुप से आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य प्राप्त कर सके।

7. विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा विभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक-22.03.2023 बैठक में की गई। समिति द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया किविश्वविद्यालय की स्थापना जुलाई 2022 में हुआ है। प्रारम्भ में Seed

Money के तौर पर विश्वविद्यालय को 5.00 करोड़ रु0 की राशि उपलब्ध कराई गई जिसमें से माह फरवरी 2023 तक 62,15,897.00 वेतनादि मद में खर्च किए गए है। शेष शीघ्र खर्च होने की बात बताई गई। विश्वविद्यालय के द्वारा वृहत खर्च Preparation and printing of self-learning materials में किया जाना है जिसके लिए निविदा प्रकाशित है। प्रत्येक कोर्स में विश्वविद्यालय का Learning Material दिया जाना है जिसके लिए लगभग 9.00 करोड़ रु0 का अनुमानित व्यय दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त अगले 04 वर्षों में 16,20,91,808.00 राशि व्यय होने का अनुमान है। समीक्षोपरांत समिति द्वारा वर्षवार कुल 20.00 करोड़ की राशि निर्गत करने की अनुशंसा की गई।

8. अतएव उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय को अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। देश के अन्य खुला विश्वविद्यालय में भी सरकार द्वारा समुचित वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तदालोक में झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय के लिए कुल 20.00 करोड़ के Seed Money को वर्षवार निम्न प्रकार स्वीकृत किया जाता है:-

(क) प्रथम वर्ष	– 5,00,00,000/- रू० (विभागीय पत्रांक-167/बजट दिनांक–27.09.2022 द्वारा आवंटित)
(ख) द्वितीय वर्ष	– 5,00,00,000/- रू०
(ग) तृतीय वर्ष	– 4,00,00,000/- रू०
(घ) चतुर्थ वर्ष	– 3,00,00,000/- रू०
(ङ) पंचम वर्ष	– 3,00,00,000/- रू०

कुल–20,00,00,000/- रु0

9. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम बजटअन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, 01–उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 46-सहायता अनुदान समान्य (वेतन) मद से किया जायेगा।

10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक—11-08-2023 की बैठक में मद संख्या 17 के रुप में स्वीकृति दी गई।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

24.8.23

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– DHEsec2/खुला वि0 विद्यालय-01/2019/HTESD 1879/ राँची, दिनांक– 25/08/2023

प्रतिलिपिः–नोडल पदाधिकारी, ई—गजट परियोजना, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.8.23

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– DHEsec2/खुला वि0 विद्यालय-01/2019/HTESD 1879/ राँची, दिनांक– 25/08/2023

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, झारखण्ड खुला विश्वविद्यालय, राँची/अवर सचिव, बजट प्रशाखा, उच्च शिक्षा निदेशालय/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.8.23

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव।

Kumar